रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 119] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 26, 1970/आषाढ़ 5, 1892
No. 119] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 26, 1970/ASADHA 5, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 26th June 1970

G.S.R. 970/Ess.Con/Gur.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Gur (Regulation of Use) Order, 1968, namely:—

1. (1) This Order may be called the Gur (Regulation of Use) Second Amendment) Order, 1970.

(2) It shall come into force at once.

2. For clause 2 of the Gur (Regulation of Use) Order, 1968, the following clause shall be substituted, namely:—

"2. **Definition.**—In this Order, "gur" means the article known as gur, gul, jaggery, shakkar, rab and other intermediacy products, prepared by boiling sugarcane juice with or without admixture of molasses, which is identifiable by the following characteristics, namely:—

(i) total sugars (sucrose plus reducing sugars) as percentage of dissolved solids ranging from 70.0 to 95.0; and

(ii) ash (sulphated) as percentage of dissolved solids ranging from 1.5 to 5.0; and

includes a solution of any of the aforesaid articles in water.".

[No. 9-2/68-S.Py.]

R. S. TALWAR, Jt. Secy

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 26 जून, 1970

सा० का० नि० 970/आवश्यक वस्तु/गुड़ :—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार गुड़ (उपयोग का विनियम) आदेश, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) यह आदेश गुड़ (उपयोग का विनियम) (द्वितीय संशोधन) आदेश, 1970 कहा जा सकेगा ।

(2) यह तुरन्त प्रभावी होगा ।

2. गुड़ (उपयोग का विनियम) आदेश, 1968 के खण्ड 2 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2. परिभाषा—इस आदेश में "गुड़" से गुड़, गुल, जैगरी, शक्कर, राब नामक वस्तु और अन्य मध्यवर्ती उत्पाद, जो गन्ने के रस के शीरे के मिश्रण से मिलकर या बिना मिलाए उबाल कर तैयार किया जाता है, अभिप्रेत है जो निम्नलिखित रसायनिक लक्षण के द्वारा पहचाना जा सकता है, अर्थात्:—

(i) कुल शर्करा (सुक्रोज तथा उपचायक शर्करा) घुले हुए ठोस पदार्थों की 70.0 से लेकर 95.0 तक प्रतिशतता के रूप में; और

(ii) भस्म (सल्फेटेड) घुले हुए ठोस पदार्थों 1.5 से लेकर 5.0 तक प्रतिशतता के रूप में, और इसमें उपरोक्त वस्तुओं में से किसी का जल में विलयन सम्मिलित है ।

[सं० 9-2/68-एस० पी० बाई०]

आर० एस० तलवाड़, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1970